दूरभाष / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूंसी, इलाहाबाद – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Allahabad

संदर्भ सं0 600 722 / पी- 43 / 2016-2017 दिनांक 03/9/2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

विषयः ग्राम–सरसवॉ तहसील मंझनपुर परगना अथरवन जनपद कौशाम्बी के भूखण्ड सं0–1530मि0 पर प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संदर्भ में अपने कार्यालय के पत्रांक–847 (2) / जे0ए0–कौशा0 / 2016 दिनांक 26.08.2016 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से हिन्दुस्तान प्रट्रोलियम का0लि0 द्वारा रेवाडी–कानपुर पाइपलाइन कार्यालय तीसरी मंजिल 123 / 788 जी–1 प्लाट नं0 52–टी / 15 फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर के पत्र सं0 एस0के0एस0 / रिटेल दिनॉक 24.08.16 के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्लूप्रिन्ट मानचित्र संलग्न कर ग्राम–सरसवॉ तहसील मंझनपुर परगना अथरवन जनपद कौशाम्बी के भूखण्ड सं0–1530मि0 पर प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन–पत्र की जांच के उपरांत संदर्भित रिटेल आउटलेट की स्थापना में बोर्ड को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम 1989 के प्राविधानों का समुचित पालन किया जाय तथा सुरक्षा रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करें। स्थल पर किसी प्रकार का उत्पादन प्रकिया से सम्बन्धित कार्य वर्जित है। रिटेल आउटलेट से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जायेगा। पेट्रोल पम्प पर यदि जेनरेटर की स्थापना की जाती है तो एकास्टिक इनक्लोजर एवं मानकों के अनुरूप एग्जास्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी